छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 281/2006</u>

श्री एम.के.अग्रवाल,
उप संचालक,
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा,
ब्लॉक–12 बी, सड़क–6, सेक्टर–10,
भिलाईनगर, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी,
   सहायक श्रमायुक्त,
   श्रमायुक्त कार्यालय,
   छत्तीसगढ़, रायपुर

2. अपीलीय अधिकारी एवं
   उप श्रमायुक्त,
   श्रमायुक्त कार्यालय,
   छत्तीसगढ़, रायपुर .... प्रतिअपीलार्थीगण

:: आदेश ::

(<u>दिनांक 08 मार्च 2007</u>)

श्री एम.के.अग्रवाल के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उसने जन सूचना अधिकारी, श्रमायुक्त कार्यालय से सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी चाही थी, कि उसका माह जनवरी 2006 का वेतन 06–03–2006 तक किन नियमों के अंतर्गत रोका गया तथा इसके लिये कौन उत्तरदायी हैं ? अपीलार्थी का यह कथन है कि उसे उक्त जानकारी अभी तक नहीं दी गई। आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी, श्रमायुक्त कार्यालय को नोटिस जारी किया गया। जन सूचना अधिकारी ने अपने जवाब में बतलाया कि अपीलार्थी का वेतन उसके अर्जित अवकाश के लेने के कारण आहरण एवं संवितरण अधिकारी का प्रभार स्वयं अपीलार्थी के द्वारा अवकाश पर जाने के पूर्व किसी सक्षम अधिकारी को नहीं सौंपा गया था, अतः वेतन निकालने में विलम्ब हुआ। अपीलार्थी को उसके अर्जित अवकाश की स्वीकृति की छायाप्रति तथा इसकी सूचना भी दे दी गई कि उसका वेतन आहरण कर दिनांक 14–03–2006 को उसके खाते में जमा कर दिया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी को निर्धारित अवधि में जानकारी दी गई।

3/ आयोग के द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा अपीलार्थी के तर्कों एवं प्रस्तुत अभिलेखों पर विचार किया। उप श्रमायुक्त (प्रशासन) के द्वारा यह बतलाया गया कि अपीलार्थी स्वयं आहरण एवं संवितरण अधिकारी थे। उनके द्वारा सहायक संचालक को अवकाश पर जाने के पूर्व आहरण एवं संवितरण अधिकार नहीं दिये गये, जिससे कि कार्यालय के अन्य कर्मचारियों एवं श्री अग्रवाल का वेतन विलम्ब से आहरित हुआ। अपीलार्थी का तर्क यह है कि उसे वेतन विलम्ब से दिये जाने का कारण नहीं सूचित किया गया। प्रकरण से स्पष्ट है कि न केवल अपीलार्थी का वरन् अन्य कर्मचारियों का वेतन भी विलम्ब से आहरण हुआ है, स्वयं अपीलार्थी आहरण एवं संवितरण अधिकारी रहा है, अतः उसे स्वयं वेतन आहरण विलम्ब से किये जाने की जानकारी स्वाभाविक रूप से होना चाहिये। जन सूचना अधिकारी के द्वारा निर्धारित अवधि में अपीलार्थी को पत्र दिनांक 05–04–2006 के द्वारा 03 पृष्ठों की जानकारी दी गई। उसमें यह भी उल्लेख किया गया कि वेतन आहरण संबंधी जानकारी उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से प्राप्त किया जावे, क्योंकि आहरण एवं संवितरण अधिकारी वही हैं। अपीलार्थी को यद्यपि विलम्ब से वेतन निकाले जाने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, किन्तु बहस के समय प्रतिअपीलार्थी ने अपने जवाब में उल्लेख किया है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी अवकाश पर होने के कारण वेतन आहरण में विलम्ब हुआ है। प्रकरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को विलम्ब से वेतन निकालने की जानकारी नहीं दिये जाने का कारण द्वेषपूर्ण नहीं है। अपीलार्थी को निर्धारित अवधि में वेतन आहरण किया जाकर जमा करने की जानकारी भी दे दी गई थी। अतः यह नहीं माना जा सकता कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा द्वेषवश अथवा जानबूझकर जानकारी नहीं दी गई, जिससे जन सूचना अधिकारी पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का औचित्य नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त